समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

अतांराकित प्रश्न संख्या:- 226

दिनॉकः - 09.08.2018

प्रश्नकर्ताः - श्री सुखवीर सिंह दलाल

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग के विभिन्न ज़िलों में स्थित कार्यालयों में जब कोई पैंशनभोगी अपना बायोमेट्रिक स्कैन व अन्य दस्तावेज़ जमा कराता है तो उसे उनकी पावती नहीं दी जाती;	जी हां, विभाग के कुछ जिला कार्यालयों में पेंशन भोगियों द्वारा जमा किए दस्तावेजों की पावती देने में अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं तथा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि लाभार्थियों को जमा किए दस्तावेजों की पावती नियमानुसार मिल सके एवं एक बार में ही उनकी सभी दस्तावेजों संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। विभाग में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया विभिन्न जिला कार्यालयों में शुरू की गई थी, ताकि आधार का संग्रहण एवं डाटा शुद्धिकरण किया जा सके परंतु भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए गए कि कोई भी विभाग आधार डेटा का हस्तांतरण किसी भी प्रयोजन के लिए स्वीकृत नहीं होगा। अतः **CSC** द्वारा विभाग को कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया अतः उपरोक्त प्रक्रिया स्वतः की निरस्त हो गई। भविष्य में विभाग उपरोक्त प्रक्रिया को पुनः संचालित करने हेतु विचार कर रहा है।
(ख)	यदि हॉ, तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;	
(ग)	बायोमेट्रिक स्कैन व अन्य दस्तावेज जमा कराने के बाद पैंशनभोगी के बैंकखाते में पैंशनराशि कितनी समयावधि में पहुंच जाती है;	पेंशन भेजने की प्रक्रिया **PFMS** माध्यम से होती है और दिए गए दस्तावेजों के आधार पर लाभार्थियों का पेंशन रिकार्ड **PFMS** पोर्टल पर चढ़ाया जाता है और रिकार्ड सफलतापूर्वक स्वीकृत हो जाने के बाद उनकी पेंशन अधिकतम एक महिने के अंदर प्रेषित कर दी जाती है।
(घ)	जिन पैंशनभोगियों (वृद्धावस्था व विकलांग पैंशन) की पैंशन रोक दी गई है, ऐसे सभी पैंशनभोगियों का नाम, पेंशन आईडी, पता, खाता संख्या, आधार संख्या, पेंशन रोके जाने का कारण, व पुनः पेंशन चालू किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराएं;	विभाग द्वारा किसी भी लाभार्थी की पेंशन रोकी नहीं जाती, अपितु बैंक द्वारा निम्न कारणों से लाभार्थी की पेंशन विभाग को वापस कर दी जाती है, जो कि लाभार्थियों द्वारा विभाग में संपर्क करने पर आवश्यक सुधार के बाद बकाया राशि सहित उनके बैंक खातों में पुनः प्रेषित कर दी जाती है।

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (P&S)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

		कारण - 1. बैंक खाता बंद/स्थानांतरित होने पर। 2. बैंक खाता उपलब्ध न होने पर। 3. बैंक खाते का मिलान न होने पर। 4. विविध। 5. आधार निष्क्रिय होने के कारण। 6. आधार डाटावेस में उपलब्ध न होने के कारण। 7. आधार अवैध होने के कारण।
(ड़)	बैंक खातों के साथ आधार लिंकिंग और आधार मैपिंग में क्या अंतर है;	पेंशन भोगियों के बैंक में आधार संख्या खाते में दर्ज होना लिंकिंग होता है तथा खातें में आधार संख्या का **NPCI** के साथ संबद्ध हो जाना मैपिंग है।
(च)	बैंक खाते में पैंशन आने के लिए आधार लिंकिंग और आधार मैपिंग में से क्या वांछित है;	बैंक खाते में पैंशन आने के लिए आधार लिंकिंग एवं मैपिंग दोनी ही वांछिनीय है ।
(छ)	अनाथ बच्चों के लिए क्या योजना है;	अनाथ बच्चों संबंधी गतिविधियां एवं कार्यकम दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं। अनाथ बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरंक्षण) अधिनियम 2015 के तहत बालकों की देखरेख और सरंक्षण श्रेणी के अंतर्गत डाला गया है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 14 बाल गृह कार्यरत हैं जिसमें निराश्रित, अनाथ, बालभिक्षु, अपरिपक्व विपदाग्रस्त व विशेष संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों को रखा जाता है जिसमें कि उनकी भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती है! विभाग द्वारा दस बाल कल्याण समितियां कार्यरत हैं। बाल कल्याण समिति ऐसी ईकाई है जो कि निराश्रित, अनाथ बच्चों से संबंधित निर्णय लेने हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सरक्षण) अधिनियम 2015 के तहत सक्षम समिति हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग पाचवां तल आईएसबीटी, बिल्डिंग का गठन किया है जो कि बच्चों के अधिकार से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करता है तथा बाल अधिकार संरक्षण के लिए समय-समय पर बनाए गए किसी भी कानून द्वारा और उसके तहत मुहैया कराए गए सुरक्षा उपायों की जांच तथा पुनः निरीक्षण करके और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए माप दण्डों की सिफारिश करता है। दिल्ली सरकार के द्वारा समेकित बाल संरक्षण योजना भी चलाई जा रही है जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुमेझता में कमी लाने में योगदान देना है।

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (FAS)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Com. Delhi Gate
New Delhi-110002

		इसके अतिरिक्त 87 गैर सरकारी बाल गृह एवं 13 ओपन शेल्टर होम भी कार्यरत हैं जिसके अंतर्गत बच्चों को भोजन, आवास, शिक्षा, चिकित्सा तथा सुरक्षा की सुविधाएं दी जाती हैं।
(ज)	मुंडका विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पैंशनभोगियों की संख्या क्या है;	मुंडका विधानसभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पैंशनभोगियों की कुल– 9370 संख्या है।
(झ)	मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कितने पैंशनभोगियों की वृद्धावस्था पैंशन रोकी गई है,	मुंडका विधानसभा क्षेत्र में 552 पैंशनभोगियों की वृद्धावस्था पैंशन उपरोक्त वर्णित 'घ' में उल्लिखित अनेक कारणों से विलंबित है। मंत्री परिषद् द्वारा अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि आधार संख्या का बैंक खाते के साथ संबद्ध न होने के कारण जो बढ़ी हुई रोकी जाती हैं उनको जारी कर दिया जाएगा। सभी योग्य लाभार्थियों की पेंशन PFMS के माध्यम से सुचारू रूप से प्रेषित की जा रही है ।
(ञ)	पेंशन रोके जाने के क्या कारण हैं;	
(ट)	संबंधित विधायकों के कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को देखते हुए बायोमेट्रिक स्कैन की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं कराई जाती है,	वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
(ठ)	मुंडका विधानसभा क्षेत्र के ऐसे वृद्धावस्था तथा विकलांग पैंशनभोगियों की संख्या क्या है जो नॉर्थ वेस्ट–1, रोहिणी सेक्टर–4 के कार्यालय के अतिरिक्त किन्ही अन्य जिला कल्याण कार्यालयों में पंजीकृत हैं; और	विभाग के संज्ञान में ऐसे अनेक मामले आए हैं जिनमें वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशनभोगी अन्य जिलों के क्षेत्र अंतर्गत पेंशन लाभ ले रहे हैं। विभाग द्वारा शीघ्र ही इस तरह की दिक्क्तों को अन्य विभागों के साथ तालमेल कर दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। यह एक टैक्नीकल समस्या है । वर्तमान सॉफ्टवेयर (**software**) में ऐसे केसों को छॉटने की सुविधा उपलब्ध नही है । विभाग द्वारा लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ऐसे सभी केसों को लाभार्थियों के क्षेत्रानुसार विसंगतियों को समायोजित कर लिया जाएगा।
(ड)	अन्य जिलों से नॉर्थवेस्ट–1 जिलें में उपर्युक्त बदलाव के संबंध में समाज कल्याण विभाग ने क्या कार्रवाई की है?	

Dr. MAHESH SHARMA
Dy. Director (HQ)
Deptt. of Social Welfare
Govt. of N.C.T. of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002